संख्या-11/2023-571/58-2023-1695177

A058-20222023-001-2347415-2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 16 मार्च, 2023**

विषयः-आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना अन्तर्गत धनराशि रु0-100.00 करोड़ अवमुक्त किये जाने एवं अग्रिम आहरण की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-150/बजट/2022-23, दिनांक 06.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2023 में बाजार हस्तक्षेप योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-10 लेखाशीर्षक-2401-108-09-आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजनांतर्गत मानक मद 42-अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रू0 10000.00 लाख को अवमुक्त किये जाने एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. योजना के क्रियान्वयन/संचालन के दौरान योजना विषयक गाइडलाइन्स एवं समय-समय पर निर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने का पूर्ण दायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्यय प्रसंस्करण एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्यय प्रसंस्करण का होगा।

2. धनराशि क्रय एजेन्सियों को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्यय प्रसंस्करण एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्यय प्रसंस्करण का होगा।

3. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है तो उसके लिये भी संबंधित सरकार कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

4. निदेशक, उद्यान एवं खाद्यय प्रसंस्करण एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्यय प्रसंस्करण द्वारा वित्तीय वर्ष स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष के समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जायेगा।

5. वित्त लेखा अनु0-1 के कार्यलय ज्ञाप दिनांक 15.11.2017 में वर्णित प्रोक्योरमेंट मैनुअल-2016 का अनुपालन निदेशक, उद्यान एवं खाद्यय प्रसंस्करण एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्यय प्रसंस्करण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश तथा एतद्विषयक (बाजार हस्तक्षेप योजना-2023) से संबंधित दिशा निर्देशों के अनुरुप दावों के परीक्षण, उनके वस्तुनिष्ठता एवं क्षतिपूर्ति की अर्हता के परीक्षण का दायित्व निदेशक उद्यान एवं वित्त नियंत्रक, उद्यान का होगा। समस्त भुगतान निर्दिष्ट अवधि (योजनान्तर्गत) के लिए ही स्वीकार्य होगा। भुगतान की प्रक्रिया भारत सरकार एवं एतद्विषयक राज्य सरकार के नीति/निर्देशों के अनुसार ही किया जाय।

10. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019 / बी-1-170 /दस- 2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 तथा अन्यज संबंधित शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक ''2401-फसल कृषि कर्म-108-वाणिज्यिक फसलें-09-आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना-42-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,00,000 (रुपये एक अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 010 **लेखा शीर्षक** 2401001080900 आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-507-X2022-23-दिनांक:15-3-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 11 /2023-571(1)/58-2023-1695177, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन नई दिल्ली।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षक) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, निदेशालय, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, हॉफेड/यू0पी0एग्रो/ उ0प्र0 पी0सी0एफ0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

https://shasan.